



P-ISSN: 2706-7483

E-ISSN: 2706-7491

www.geojournal.net

IJGGE 2023; 5(1): 85-90

Received: 15-02-2023

Accepted: 21-03-2023

डॉ. सीमा श्रीवास्तव

आचार्या, भूगोल विभाग,

गोविन्द गुरु जनजातीय

विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा,

राजस्थान, भारत

मनीषा

शोधार्थी, भूगोल विभाग, गोविन्द

गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय,

बांसवाड़ा, राजस्थान, भारत

सीकर जिले के कृषि भूमि उपयोग पर जनसंख्या गत्यात्मकता के प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन

सीमा श्रीवास्तव, मनीषाDOI: <https://doi.org/10.22271/27067483.2023.v5.i1a.186>

सारांश

जनसंख्या गत्यात्मकता का कृषि भूमि उपयोग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता निश्चित होती है जो कि एक सीमित जनसंख्या को पोषण उपलब्ध करवाने में सक्षम होती है। लेकिन जैसे-जैसे प्राकृतिक भू-दृश्य पर लोगों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, तो संसाधनों के उपयोग में भी वृद्धि होती है एवं क्षेत्र का स्वरूप परिवर्तित होने लगता है, सर्वप्रथम परिवर्तन भूमि उपयोग में दृष्टिगत होता है। प्राकृतिक भू-दृश्य में धीरे-धीरे सांस्कृतिक परिवेश स्थान लेने लगता है, आवासीय क्षेत्र का विकास होने लगता है, विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, परिवहन जाल का तीव्र गति से विकास होने लगता है, विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होने लगती हैं। प्रारम्भ में जब तक जनसंख्या सीमित रहती है तो कृषि योग्य भूमि का विकास होता है, नवीन तकनीक के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के अनेक प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे जनसंख्या वृद्धि अधिक होने लगती है, तो कृषि योग्य भूमि का उपयोग अन्य गैर-कृषिगत कार्यों में किया जाने लगता है, जैसे आवास, वाणिज्य, व्यवसाय, मनोरंजन एवं अन्य जनसुविधाओं के विकास में भूमि का उपयोग किया जाने लगता है। कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण के तहत कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन, नई तकनीक, मशीनीकरण, रासायनिक खाद, नई किस्म के उन्नत बीज, विभिन्न कीटनाशक दवाइयाँ, उन्नत सिंचाई, कीट प्रतिरोधी फसलें, जीवाणु खाद, उचित विपणन आदि का कृषि में उपयोग है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान जीवन निर्वहन, कृषि से ऊपर उठकर व्यापारिक कृषि की ओर बढ़ने लगे हैं, जिससे उनकी सम्पन्नता भी बढ़ी है। कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण के लिए कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन का अत्यधिक महत्व रहा है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि पर विभिन्न गैर-कृषिगत कार्यों संबंधी गतिविधियाँ संचालित होने लगी हैं, साथ ही कृषि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है।

कूटशब्द: जनसंख्या गत्यात्मकता, कृषि भूमि उपयोग, आधुनिकीकरण, गैर-कृषिगत कार्य

प्रस्तावना

कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारकों में जनसंख्या गत्यात्मकता एक महत्वपूर्ण आधार रहा है जिसकी प्राथमिक अवस्था में भू-भाग वनस्पति आवरण से आच्छादित या वनस्पति विहीन रहता है, धीरे-धीरे इस भू-भाग पर मानवीय गतिविधियाँ प्रारम्भ होने लगती हैं। मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप भूमि का उपयोग करता है। मानव ही भूमि को कृषि के योग्य बनाता है, कम उपजाऊ भाग को अधिक उपजाऊ बनाता है तथा एक फसली क्षेत्र को बहु फसली क्षेत्र में परिवर्तित करता है। जब भू-भाग का प्राकृतिक स्वरूप लुप्त हो जाता है तथा मानवीय क्रियाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी स्थान की भूमि उपयोग गहनता कुछ कारकों जैसे वर्षा, मृदा, सिंचाई, काश्तकारों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। आधुनिकीकरण प्रक्रिया से कृषि में भी समयानुसार परिवर्तन आने लगे तथा आधुनिक तथा परम्परागत पद्धतियों से सामंजस्य स्थापित हुआ। सरकारों ने किसानों को वांछित सुविधाएँ एवं सहायता देना प्रारम्भ किया जिससे कृषि विकास में सहायता प्राप्त हो सके, जिनमें ऋण सुविधा, यातायात सुविधा, सिंचाई सुविधाओं का विकास, कृषि यंत्र एवं कृषि विस्तार कार्यक्रम क्रियान्वित करना, आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाना आदि प्रमुख हैं। कृषि का विकास सामान्य आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। जिस तरह आर्थिक विकास में पूँजी निवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी तरह कृषि के विकास के लिए भी पूँजी निवेश में वृद्धि आवश्यक है। कृषि में पूँजी निवेश के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रति हैक्टेयर उत्पादन में भारी वृद्धि आवश्यक है। इसके साथ-साथ प्रतिव्यक्ति आय में भी वृद्धि आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र

सीकर जिला, राजस्थान राज्य के शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है, जिसकी आकृति अर्द्धचन्द्राकार, कटोरेनुमा अथवा प्यालेनुमा है।

Corresponding Author:**डॉ. सीमा श्रीवास्तव**

आचार्या, भूगोल विभाग,


गोविन्द गुरु जनजातीय

विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा,

राजस्थान, भारत

सीकर को पूर्व में "वीरभान का बास" नाम से जाना जाता था। यह जिला राज्य के उत्तरी-पूर्वी भाग में प्रदेश की राजधानी जयपुर से लगभग 112 किलोमीटर दूर स्थित है। जिले की भौगोलिक अवस्थिति 27°21' उत्तरी अक्षांश से 28°12' उत्तरी अक्षांश एवं 74°44' पूर्व देशान्तर से 75°25' पूर्वी देशान्तर के बीच है। सीकर जिले की समुद्र तल से औसत ऊँचाई लगभग 422 मीटर है एवं कुल क्षेत्रफल 7732 वर्ग कि.मी. है एवं जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2677333 है। जिले

की उत्तर दिशा में झुन्झुनू जिला, उत्तर-पश्चिम दिशा में चूरु जिला, दक्षिण दिशा में जयपुर जिला, दक्षिण-पश्चिम दिशा में नागौर जिला तथा उत्तर-पूर्व दिशा में हरियाणा राज्य का महेन्द्रगढ़ जिला सीमा बनाते हैं। यह जिला प्रमुख रूप से सड़क मार्गों के माध्यम से अन्य जिलों एवं नगरों से जुड़ा हुआ है, क्षेत्र का मुख्य सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 है, जो कि आगरा से बीकानेर तक विस्तारित है।



मानचित्र 1: सीकर जिले की अवस्थिति

उद्देश्य

1. सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग का अध्ययन करना।
2. सीकर जिले में जनसंख्या गत्यात्मकता का अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. विगत दशकों में सीकर जिले में जनसंख्या गत्यात्मकता के कारण कृषि भूमि उपयोग में कमी आई है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में शोध उद्देश्यों तथा परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए विषय पर उपलब्ध साहित्य से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों एवं पुस्तकों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र की सूचनाएँ व्यक्तिगत एवं सरकारी कार्यालयों से एकत्रित करके विश्लेषित की गयी हैं। उक्त शोध अध्ययन हेतु सामग्री तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण निम्नलिखित स्रोतों से किया गया है –

1. **प्राथमिक स्रोत** : इस सम्बन्ध में प्रश्नावली, परिचर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़े एकत्रित कर उपयोग में लिए गये हैं।
2. **द्वितीय स्रोत** : इस सम्बन्ध में प्रकाशित व अप्रकाशित सामग्री, पत्र-पत्रिकाओं, लेखों, कार्यालयों की सूचनाओं का उपयोग किया गया है।

जनसंख्या गत्यात्मकता


किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समयावधि में जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवास एवं उत्प्रवास के कारण निवास करने वाले लोगों

की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या गत्यात्मकता कहा जाता है। सीकर जिले में जनसंख्या गत्यात्मकता की तीव्र प्रवृत्ति देखी गयी है, यहाँ के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, धरातलीय स्वरूप, सामाजिक संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसुविधाएँ, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी आदि हैं। इसके अतिरिक्त सीकर जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के प्रमुख शिक्षा के केन्द्र के रूप में पहचान बनाई है, जिसमें स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा के अतिरिक्त कोचिंग शिक्षण संस्थानों की अधिकता है, जिनमें अध्ययन के लिए देश एवं प्रदेश के विद्यार्थी प्रति वर्ष आते हैं। इस प्रकार इन सभी कारणों के परिणामतः सीकर जिले में जनसंख्या का स्वरूप एवं प्रवृत्ति निर्धारित होती हैं, जो कि जनसंख्या गतिकी को स्पष्ट करती हैं। जनसंख्या गतिशीलता के अन्तर्गत जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि के साथ ही जनसंख्या की संरचना एवं घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना आदि के परिवर्तन का भी विशेष महत्व रहता है। सीकर जिले में वर्ष 1901 से 2021 (अनुमानित) जनसंख्या में परिवर्तन निम्न प्रकार रहा है।

तालिका 1: सीकर जिले में दशकीय जनसंख्या कमी/वृद्धि

जनगणना वर्ष	पुरुष	स्त्री	कुल जनसंख्या	जनसंख्या में परिवर्तन	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1901	248551	218073	466624	—	—
1911	247203	222237	469440	(+) 2816	(+) 0.60
1921	245285	217310	462595	(-) 6845	(-) 1.46
1931	272433	248726	521159	(+) 58564	(+) 12.66
1941	320161	294423	614584	(+) 93425	(+) 17.93
1951	342885	333433	676318	(+) 61734	(+) 10.04
1961	417763	402523	820286	(+) 143968	(+) 21.29
1971	531650	510998	1042648	(+) 222362	(+) 27.11
1981	701778	675467	1377245	(+) 334597	(+) 32.09
1991	947232	895682	1842914	(+) 465669	(+) 33.81
2001	1172753	1115035	2287788	(+) 444874	(+) 24.14
2011	1374990	1302343	2677333	(+) 389545	(+) 17.03
2021 (अनुमानित)	1594713	1510458	3105171	(+) 427838	(+) 15.98

स्रोत: जनगणना विभाग, राजस्थान-1901 से 2011 व अनुमानित जनसंख्या 2021

**आरेख 1:** सीकर जिले में दशकीय जनसंख्या कमी/वृद्धि

1901 की जनगणना से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार सीकर जिले की कुल जनसंख्या 466624 थी, जबकि 1911 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 469440 रही थी। इस दशक में

2816 लोगों की वृद्धि हुई एवं प्रतिशत वृद्धि मात्र 0.60 हुई थी। वर्ष 1931 की जनगणना के आँकड़ों से स्पष्ट है कि इस वर्ष सीकर जिले की कुल जनसंख्या 521159 रही थी। इस दशक में

58564 लोगों की वृद्धि हुई एवं प्रतिशत वृद्धि 12.66 हुई थी। इस दशक से जिले की जनसंख्या में पुनः वृद्धि होना प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1941 की जनगणना से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 614584 रही थी। इस दशक में 93425 लोगों की वृद्धि हुई एवं प्रतिशत वृद्धि 17.93 हुई थी। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार सीकर जिले की कुल जनसंख्या 1042648 रही थी। इस दशक में 222362 लोगों की वृद्धि हुई एवं प्रतिशत वृद्धि 27.11 हुई थी। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर सीकर जिले की कुल जनसंख्या 1842914 रही, विगत दशक की जनसंख्या से यह 465669 अधिक थी एवं प्रतिशत वृद्धि 33.81 हुई थी। इस दशक में सीकर जिले की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी।

2001 की जनगणना के आधार पर सीकर जिले की कुल जनसंख्या 2287788 थी, जो कि वर्ष 1991 की जनसंख्या से 444874 अधिक रही तथा प्रतिशत वृद्धि 24.14 हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सीकर जिले की कुल जनसंख्या 2677333 थी, जो कि वर्ष 2001 की जनसंख्या से 389545 अधिक रही तथा इसमें प्रतिशत वृद्धि 17.03 हुई थी। वर्ष 2021 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सीकर जिले की कुल जनसंख्या 3105171 है, जो कि वर्ष 2011 की जनसंख्या से 427838 अधिक है एवं इसमें प्रतिशत वृद्धि 15.98 हुई है। स्वतंत्रता के बाद सीकर जिले की जनसंख्या में तीव्र विकास हुआ, इसका कारण सीकर जिले की अवस्थिति एवं साथ ही पड़ोसी प्रमुख नगरों से राजमार्ग एवं रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ होना है। सीकर जिले के नगरीय क्षेत्रों में उच्च स्तर की नागरिक सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। अतः यह निवेशकों के आकर्षण का केन्द्र बना, बड़े उद्योग एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ स्थापित हुई। फलस्वरूप यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासियों का आप्रवास हुआ है। इस प्रकार जिले की तीव्र जनसंख्या वृद्धि यहाँ उच्च जनसंख्या गत्यात्मकता को प्रकट करती है।

कृषि भूमि उपयोग पर प्रभाव

कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल,

चालू पड़त भूमि, अन्य पड़त भूमि, बंजड़ (कृषि योग्य) भूमि एवं वृक्षों के झुंड-बाग भूमि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार भूमि उपयोग का एक बड़ा भाग कृषि भूमि में आता है। सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग पर जनसंख्या गत्यात्मकता के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2000-01, वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2020-21 के कृषि भूमि उपयोग के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है।

तालिका 2: सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग (वर्ष 2000-01 से 2020-21) (हेक्टेयर में)


क्र. सं.	कृषि भूमि उपयोग	वर्ष 2000-01	वर्ष 2010-11	वर्ष 2020-21
1	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल	522285	535678	501133
2	अन्य पड़त	45795	40892	56372
3	चालू पड़त	42644	33636	47689
4	बंजड़ (कृषि योग्य)	10065	8874	11967
5	वृक्षों के झुंड-बाग	89	124	46
	योग	620878	619204	617207

स्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, सीकर (वर्ष 2002, 2012, 2022)


तालिका 3: सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग (वर्ष 2000-01 से 2020-21) (प्रतिशत में)

क्र. सं.	कृषि भूमि उपयोग	वर्ष 2000-01	वर्ष 2010-11	वर्ष 2020-21
1	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल	67.46	69.19	64.73
2	अन्य पड़त	5.91	5.28	7.28
3	चालू पड़त	5.51	4.34	6.16
4	बंजड़ (कृषि योग्य)	1.30	1.14	1.55
5	वृक्षों के झुंड-बाग	.01	.02	.005
	योग	80.19	79.97	79.73


स्रोत – जिला सांख्यिकी रूपरेखा, सीकर (वर्ष 2002, 2012, 2022)



आरेख 1: सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग (वर्ष 2000-01)



आरेख 2: सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग (वर्ष 2010-11)



आरेख 3: सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग (वर्ष 2020-21)

सीकर जिले में जनसंख्या गत्यात्मकता अर्थात् तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व के कारण कृषि भूमि उपयोग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है, जिले में वर्ष 2000-2001 में कृषि भूमि उपयोग 620878 हैक्टेयर (80.19 प्रतिशत) में विस्तृत था, वह घट कर वर्ष 2010-11 में 619204 हैक्टेयर (79.07 प्रतिशत) रह गया एवं वर्ष 2020-21 में घट कर 617207 हैक्टेयर (70.73 प्रतिशत) रह गया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनसंख्या गत्यात्मकता के कारण कृषि भूमि उपयोग में कमी आई है।

कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण

अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कृषि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा सके एवं उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। जिसमें कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्र, आधुनिक मशीनें, यातायात, ऋण एवं कृषि विस्तार आदि प्रमुख हैं।

1. उन्नत बीजों का उपयोग

सीकर जिले में प्रारम्भ में इन फसलों में उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन हरित क्रान्ति का प्रभाव इस क्षेत्र के किसानों पर भी पड़ा और ये भी उन्नत बीजों का प्रयोग करने लगे। किसान ने साधारण बीजों की अपेक्षा अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया, जिससे प्रति हैक्टेयर

उपज में भारी वृद्धि हुई। अधिक उपज देने वाले बीजों में वृद्धि सिंचित क्षेत्रों में अधिक हुई है। अवलोकन से पता चलता है कि गेहूं, तथा चना की फसलों में सम्पूर्ण क्षेत्र में उन्नत बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे फसलों के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, परन्तु अन्य फसलों के क्षेत्रों में उन्नत बीजों का प्रसार अभी शैशवावस्था में है। अतः अन्य फसलों में भी उन्नत बीजों का प्रयोग आवश्यक है।

2. उर्वरकों का प्रयोग

निरन्तर फसल पैदा करने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है जिसको बनाये रखने के लिए तथा वृद्धि करने हेतु अध्ययन क्षेत्र में खादों तथा उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। अधिक उपज देने वाले बीजों से अधिकतम लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब तक उसमें उत्तम जल प्रबंध के साथ-साथ उर्वरकों का भी अनुकूलतम उपयोग हो। वास्तव में उर्वरक केवल सिंचित क्षेत्र में ही उत्पादन नहीं बढ़ाते, बल्कि असिंचित क्षेत्र में भी फसलों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन की अभिवृद्धि में सहायक हैं।

3. कीटनाशक एवं पौध संरक्षण औषधियां

सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण के लिए अनेक कृषि यंत्र, खाद और उन्नत बीजों के साथ-साथ कीटनाशक दवाओं का भी आगमन हुआ है। कभी-कभी अच्छी फसल होते हुए भी पौधों में बीमारियों के कारण फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधों में फफूंद, जीवाणु, वायरस,

कवक, माइकोप्लाज्मा आदि सूक्ष्म जीवों से एवं अनेक जलवायिक कारक जैसे तापमान में भारी बदलाव, मृदा एवं जल की गुणवत्ता में अन्तर आने पर, पौधों में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, मृदा में क्षार एवं लवण अधिक या कम मात्रा में होने से पौधों में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। उनके नियंत्रण के बिना फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र में फसलों में रोग नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रमुख कीटनाशक तथा सूक्ष्म जीवाणुनाशक औषधियों का विवरण निम्न है:-

- **कीटनाशक दवायें** — बी.एच.सी. कारबोरिल, साइपर मैथेरीन एवं फेनवलेरेट, डाइक्लोरोस, डीपेथीएट, ओ.एस.उल्फान, मनिटोनियान, मैलामियान, फोसफोसिडान आदि।
- **कवक नाशक** — कॉपर सल्फेट, कॉपर आक्सेक्लोराइड, कार बेन्जजीम मानेओजाब, सल्फर, जीनाब, डी. फोलेशन व डाइनोकोप है।

संस्थागत सुविधाएं

सरकार राज्य में कृषि विकास के लिये विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग प्राप्त कर रही है। इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि विकास संगठन, विश्व बैंक, विश्व मौसम संगठन आदि भी अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में कृषि विकास में सहयोग दे रहे हैं जिसके माध्यम से राज्य स्तर पर लाभ हो रहा है। कुछ समय पूर्व ही भारत सरकार ने दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए दलहन विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था "इकार्डी" से समझौता किया है। आधुनिक तकनीक व अच्छी प्रजाति के बीजों के उपयोग से देश के एक बड़े असिंचित क्षेत्र में दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की गई है। मैसूर, चना और कुल्थी की उन्नतशील खेती के लिए सीरिया स्थित "इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरिया" के 'जर्मप्लाज्म' के विशाल संग्रह के उपयोग करने की भारत सरकार की योजना है। जिससे अध्ययन क्षेत्र को भी लाभ मिलने की सम्भावना है।

4. कृषि विस्तार सुविधाएं

सीकर जिले में इस प्रणाली के अन्तर्गत गठित प्रसार व्यवस्था में मुख्य रूप से नई तकनीक एवं विधियों का ज्ञान प्राप्त कर ध्यान देने की भावना ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ यह भी देखना आवश्यक है कि विभिन्न फसलों के उन्नत बीज, पौध संरक्षण, मृदा संरक्षक सम्बन्धी विभिन्न रसायन एवं साधन भी किसानों को समय विशेष एवं स्थान विशेष पर उपलब्ध होना आवश्यक है। इस हेतु सरकार ने विभिन्न साधनों को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सिंचाई विभाग, सहकारी संस्थाएं, कृषि उद्योग, निगम व निजी संस्थाओं को दे रखा है। कृषि विस्तार प्रशासनिक इकाईयां जनतंत्रीय पद्धति पर आधारित है, जिसमें कृषकों का सहयोग भी वांछनीय है।

5. कृषि साख सुविधाएं

स्वतंत्रता के पश्चात् सरकारों का ध्यान कृषि साख सुविधाओं की ओर गया तो सरकारों ने किसानों को कृषि कार्य करने के लिये ऋण उपलब्ध कराने हेतु संस्थाओं का कार्य क्षेत्र बढ़ाया, जिनके द्वारा किसानों एवं कृषि क्षेत्र से संलग्न लोगों को अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण एवं दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

5. पूंजी विस्तार सेवा सुविधाएं

सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग के आधुनिकीकरण में पूंजी विस्तार सेवा अवस्थापन के अलावा गहन पूंजी सुलभ सेवा सुविधाएं भी कृषि आधुनिकीकरण की सुविधाएं मानी गई है। इस

वर्ग में उन सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके बनाने एवं प्राप्त करने में विशेष पूंजी की आवश्यकता होती है जिनमें मुख्यतः भण्डारण सुविधायें, पीने के पानी की सुविधायें, सिंचाई सुविधायें, संचार सुविधाएं, यातायात, कृषि विपणन आदि सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है।

निष्कर्ष

सीकर जिले में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या अर्थात् उच्च जनसंख्या गत्यात्मकता के कारण कृषि भूमि उपयोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। कृषि योग्य भूमि पर विभिन्न गैर-कृषिगत गतिविधियां जैसे आवासीय, औद्योगिक, व्यापारिक, डेयरी आदि स्थापित होती जा रही हैं। खाद्यान्नों की बढ़ती मांग के कारण वन, झाड़ी और आर्द्र भूमि सहित गैर कृषि क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर फसल क्षेत्र के विस्तार का प्रयास किया जाता है। कृषि भूमि उपयोग के आधुनिकीकरण में उन्नत बीजों का वितरण, उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक एवं पौध संरक्षण औषधियां, संस्थागत सुविधाएं, कृषि विस्तार सुविधाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामूहिक विचार-विमर्श, भ्रमण दिवस, फिल्म प्रदर्शन, प्रदर्शक फील्ड एवं सामूहिक समस्याएं, कृषि अनुसंधान सुविधा, पशु एवं फसल संरक्षण, कृषि साख सुविधाएं, पूंजी विस्तार सेवा सुविधाएं, यातायात व संचार सुविधाएं, विद्युत सुविधा आदि को सम्मिलित किया जाता विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से कृषि भूमि उपयोग के आधुनिकीकरण में नवीन तकनीकों का प्रयोग आवश्यक है, जिनसे जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, साथ ही अध्ययन क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

सन्दर्भ सूची

1. भल्ला एल. आर. राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिकेशन, जयपुर, 2022, पृष्ठ संख्या 76-87।
2. शर्मा, आर. एन. वाटर कन्जर्वेशन— स्टैटेजीज एण्ड सोलुशन, रावत प्रकाशन, जयपुर, 2022. पृष्ठ संख्या 63-66।
3. सक्सेना, हरिमोहन. राजस्थान का भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान सरकार, 2021. पृष्ठ संख्या 51-59।
4. तिवारी आर. सी. एवं सिंह बी. एन. कृषि भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन, इलाहाबाद. 2021, पृष्ठ संख्या 41-48।
5. गौतम, अल्का. कृषि भूगोल, शारदा प्रकाशन, दिल्ली, 2020. पृष्ठ संख्या 76-85।
6. जिला सांख्यिकी रूपरेखा, सीकर जिला— 2002, 2012, 2022.
7. शुक्ला राजेश एवं शुक्ला रश्मि. कृषि भूगोल, अर्जुन प्रकाशन, जयपुर, 2019, पृष्ठ संख्या 71-77।